दो रुपये TWO RUPEES (court fee stamps)

माननीय न्यायालय ~~आयुक्त महोदय~~ ग्वालियर
राजस्व मण्डल

प्रकरण क्र. – /18–~~19~~21 निगरानी

विविध – S972/2018/ ग्वालियर भू.रा.

1 श्रीमति मायासिंह कुशवाह बेवा बारेलाल

2 स्नेहा नावालिक पुत्री बारेलाल

3 रितेश नावालिक पुत्री बारेलाल

4 गोरेलाल पुत्र श्रीपाल कुशवाह

निवासीगण चंद्रनगर मंगलनर्सिंग के पास

लश्कर ग्वालियर म.प्र. ....प्रार्थीगण

विरूद्ध

बाबू सिह आदि ....प्रतिप्रार्थीगण

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमान अपर आयुक्त ग्वालियर के प्रचलित प्रकरण क्र. 135/16-17 अपील बाबूसिंह बनाम मायासिंह आदि को मगाकर उसकी सुनवाई स्वयं द्वारा किये जाने के संबंध में प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. यहकि, बाबूसिंह द्वारा एकअधिकारता रहित अपील जो कि श्रीमान कलेक्टर महोदय ग्वालियर के बंदोबस्त नवशे से वर्तमान नक्शे में कि गई त्रुटि को सुधारने हेतु आदेश दिनांक 23.12.2014 को दिया था जिसका प्रकरण क्र. 60/13-14 अ 74 था।

2. यहकि, ग्राम रमटापुरा लश्कर ग्वालियर में स्थित भूमि सर्वे क्र. 420 जो कि हम प्रार्थीगणों की भी भूमि स्वामि स्वत्व की भूमि है तथा सर्वे क्र. 417 ट्रस्ट रामजानकी मंदिर की स्वत्व स्वामित्व की जमीन है दोनो सर्वे नं. एक दूसरे से लगे हुये है। एवं बंदोबस्त नक्शे के बाद पटवारी नक्शा के बाद कभी पटवारी ने पटवारी नक्शा ट्रेस करते समय नंबर डालते समय 420 के स्थान पर 417 एवं .417 के स्थान पर 420 डाल दिया था जो कि एक लिपिकीय भूल थी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 5972/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-4-2019	आवेदकगण की ओर से श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जाने के कारण यह प्रकरण निरर्थक होने से समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	